बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

।। आदेश ।।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री संजीव कुमार (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–180/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, चौसा, मधेपुरा सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–2141 दिनांक–28.08.2025 के आलोक में निरीक्षण अभियान के उपरान्त "Zero Office Day Inspection : Block-wise Discrepancy Report (29.08.2025 to 10.09.2025)" की समीक्षा के क्रम में मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड अन्तर्गत आने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानों में चालू माह के लिए कुल–11 लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किये जाने, 29 लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण किये जाने, 19 लाभुकों को निकृष्ट गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित किये जाने एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के 40 स्टॉक में अन्तर संबंधित शिकायत/मामले संज्ञान में आने तथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही के साथ उदासीनता बरतने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2364 दिनांक–12.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत श्री कुमार को निलंबित किया गया। साथ ही, विभागीय पत्रांक–2370 दिनांक–12.09.2025 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान की माँग की गई।

उक्त के क्रम में श्री कुमार ने अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान समर्पित करते हुए स्वयं के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों का खंडन कर मुख्य रूप से अंकित किया गया कि वर्तमान सितंबर 2025 माह का खाद्यान्न का लाभ प्राप्त नहीं करने वाले 11 उपभोक्ता स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने तक खाद्यान्न के लाभ से लाभान्वित हो चुके हैं। 19 उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित किये जाने के संबंध में उल्लेखनीय है कि चौसा प्रखंड अंतर्गत सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को बिहारीगंज टीपीडीएस गोदाम से खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही थी। विक्रेताओं द्वारा खराब गुणवत्ता की शिकायत के आलोक में जाँच कर खराब गुणवत्ता के संदर्भ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को भी सूचित किया गया है। 40 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के गोदाम में भंडारित खाद्यान एवं पॉश पर ऑनलाइन प्रदर्शित खाद्यान में अंतर के संबंध में विदित हो कि विक्रेता के गोदाम में भंडारित खाद्यान्न की मात्रा का अनुमान बोरों की गिनती के उपरांत ही लगाया जाता है। 27 ऐसे मामले हैं, जहाँ पॉश मशीन पर प्रदर्शित ऑनलाइन खाद्यान्न एवं विक्रेता के गोदाम में भौतिक रूप से भंडारित खाद्यान्न में किलोग्राम में अंतर है, जबकि 01 विक्रेता के पॉश मशीन में तकनीकी खराबी रहने एवं 02 विक्रेताओं के जाँच की तिथि को ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत की समस्या/पॉश मशीन चार्ज न रहने के कारण पॉश यंत्र पर टीपीडीएस गोदाम से आपूर्ति किए गए खाद्यान्न को प्रदर्शित नहीं कर सके थे।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित लिखित बचाव बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा दिनांक–17.09.2025 को ज0वि0प्र0 विक्रेता संतोष कुमार अकेला (FPS ID – 121300200405) के निरीक्षण प्रतिवेदन में लाभुक श्रीमती सिजिया देवी, रवीना खातुन तथा ज0वि0प्र0 विक्रेता श्री अम्बिका मंडल (FPS ID – 121300200266) के निरीक्षण प्रतिवेदन में लाभुक श्रीमती विभा देवी एवं ज0वि0प्र0 विक्रेता पैक्स अध्यक्ष (FPS ID – 121300200158) के निरीक्षण प्रतिवेदन में लाभुक संजीदा खातुन, श्री पंकज यादव द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण किये जाने संबंधित तथ्य प्रतिवेदित किया है। इसके अतिरिक्त अन्य ज0वि0प्र0 विक्रेताओं के निरीक्षण प्रतिवेदन में भी कतिपय लाभुकों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण की बात कही गयी है, परन्तु निरीक्षी पदाधिकारी के Observations and Deviations स्तम्भ में खाद्यान्न कम मात्रा में वितरण किये जाने से संबंधित तथ्य को प्रमुखता से नहीं दर्शाया गया है। कम मात्रा में खाद्यान्न वितरित किये जाने संबंधित तथ्य को प्रमुखता से दर्शाते हुए अपने वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में लाने तथा विक्रेताओं को भी इसके संबंध में सचेत किया जाना

समीचीन था। श्री कुमार द्वारा दिनांक–26.08.2025 को खराब गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति किये जाने संबंधित सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को दी गयी थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विशेष अभियान के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण दिनांक–29.08.2025 को किया गया, जबकि माह अगस्त, 2025 का वितरण चक्र 31.08.2025 को समाप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में दिनांक–26.08.2025 को खराब गुणवत्ता का चावल के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया जाना स्वयं संदेहास्पद प्रतीत होता है। यदि श्री कुमार को खराब गुणवत्ता का चावल के संबंध में सूचना पूर्व से उपलब्ध थी तो ऐसी स्थिति में इसकी सूचना ससमय प्रदान किये जाने से खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न के वितरण को रोका जा सकता था। यद्यपि श्री कुमार द्वारा स्टॉक में अन्तर पाये जाने के कारण पूर्व में निलामपत्र वाद दायर करने हेतु कतिपय जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदित किया गया है, तदापि स्टॉक में इतने बड़े स्तर पर अंतर पाया जाना खेदजनक है तथा निरीक्षी पदाधिकारी के सम्यक् रूप से निरीक्षण का अभाव प्रदर्शित करता है। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या–02, 03 एवं 04 प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत उनकी एक (01) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संजीव कुमार (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–180 / 2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, चौसा, मधेपुरा सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत उनकी एक (01) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित कर इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए प्रस्तुत प्रक्रम को समाप्त किया जाता है। श्री कुमार को निलंबन अवधि का अनुमान्य निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

21/11/2025

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(निरीक्षण)–17 / 2025(खंड–I)– 3176 खाद्य, पटना / दिनांक– 21.11.2025

प्रतिलिपि–**1**. प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / जिला पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा / उप निदेशक (खाद्य), कोशी प्रमंडल, सहरसा / प्रशाखा पदाधिकारी–03 / आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि संसूचित दण्ड की प्रविष्टि श्री कुमार की सेवापुस्त में किया जाना सुनिश्चित करें।

3. श्री संजीव कुमार (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–180 / 2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, चौसा, मधेपुरा (निलंबन अवधि में मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा), E-Mail ID : hjpbaj85@gmail.com को निदेशित किया जाता है कि निलंबन मुक्ति के पश्चात् खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

21/11/2025

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/2025/Punishment Order/Sanjiv Kumar.doc